

# कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, जोधपुर

## प्रमाण-पत्र

हस्ताक्षर राजस्थान जोधपुर (संस्था का नाम)

द्वारा संचालित हस्ताक्षर आर.सी. 3 प्राथमिक विद्यालय प्रोहवा जोधपुर (विद्यालय का नाम)

को राजस्थान राज्य में सबके लिए शिक्षा के लक्ष्य एवं गैर सरकारी संस्थाओं को लक्ष्य प्राप्ति के लिए निर्भाई जा रही भूमिका के दृष्टिगत श्रीमान् शासन उप सचिव स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जोधपुर के पत्रांक : प.9(68) शि-5/05 दिनांक 25.01.08 एवं आयुक्त, प्रा.शि. राजस्थान बीकानेर के पत्रांक-शिविरा /प्रारं /शैक्षिक /सी / 19626/ 02-06/11 (मु.) दिनांक 05.02.08 के अनुसरण में संस्था को निम्न आधार पर उच्च प्राथमिक (माध्यम- हिन्दी/अंग्रेजी) स्तर पर मान्यता दी हुई जाने जाने का प्रमाण-पत्र सत्र 2008-09 से जारी किया जाता है।

1. संस्था द्वारा प्रस्तुत राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था नियम 1993 के परिशिष्ट-1 में अंकित सूचनाएं परिशिष्ट-2 में यथा निर्दिष्ट निर्बंधनों तथा शर्तों की पूर्ति एवम् इस बात के समर्थन में प्रस्तुत रापथ-पत्र अनुसार कमी पाये जाने पर जारी प्रमाण-पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।
2. संस्था द्वारा राज्य सरकार, आयुक्त प्रारम्भिक शिक्षा, निर्देशक माध्यमिक शिक्षा, उप निर्देशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/ प्रारम्भिक शिक्षा एवम् ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने पर आदेशों, निर्देशों व अनुदेशों का तत्परता से पालन करने एवं उनसे समय-समय पर मांगी जाने वाली अन्य सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु संस्था पाबंद होगी। अवमानना की स्थिति से जारी प्रमाण-पत्र प्रत्याहरित करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।
3. संस्था के विद्यार्थी किसी अन्य गैर सरकारी शिक्षण संस्था अथवा सरकारी विद्यालय में प्रवेश हेतु पात्र होंगे, परन्तु इस प्रयोजनार्थ इन्हें संस्था द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा अथवा शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित समान परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
4. राजस्थान सरकार के नवीन निर्देशानुसार प्रत्येक संस्था को प्रत्येक तीन वर्ष में अपने द्वारा संचालित विद्यालय भवन का 'भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र' मय ब्ल्यू प्रिंट के सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत करना होगा।
5. राजस्थान गैर सरकारी शिक्षण संस्थान नियम 1993 के नियम 23 के अनुरूप कार्यकारिणी का निर्वाचन कर प्रमाणित प्रति इस कार्यालय को समय-समय पर प्रस्तुत करनी होगी।
6. संस्था द्वारा संचालित विद्यालय को प्रमाण-पत्र जारी करने के वर्ष 2008 में कक्षा-6, 2009 में कक्षा-7 एवं 2010 में कक्षा-8 प्रारम्भ करनी होगी।
7. अभिभावक/छात्र के द्वारा T.C. चाहने पर नियमानुसार जारी करेंगे एवं प्रधानाध्यापक के परिवर्तन की सूचना परिवर्तन के साथ ही हस्ताक्षर प्रमाणित कर प्रस्तुत करेंगे।

क्रमांक : जिशिअ/प्राशि/जोध/मान्यता/08/F 43 / 55

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :-

1. श्रीमान् आयुक्त, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर,
2. श्रीमान् उपनिदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, जोधपुर मण्डल, जोधपुर
3. श्रीमान् ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति, शहर, जोधपुर
4. संस्था सचिव, हस्ताक्षर राजस्थान जोधपुर प्रोहवा जोधपुर, जोधपुर
5. पक्षक पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी

प्रारम्भिक शिक्षा, जोधपुर

दि. 30-04-08

जिला शिक्षा अधिकारी

प्रारम्भिक शिक्षा, जोधपुर

वे. 10 वि. 2065